-: निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त पडे निम्नलिखित स्टालों के संचालन हेतु निगम मुख्यालय के पत्रांक 2217रो/14-177एफए/01 दिनाँक 29.05.2015 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत माह के प्रत्येक बुधवार को (जब तक स्टाल स्वीकृत नहीं हो जाता) निविदा आमंत्रित की जाती है, यदि बुधवार को कोई अवकाश होता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस के दिन स्वीकार/निस्तारित की जायेगी। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिमाह आफर की गई धनराशि के तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में एवं ₹ 10,000.00 (दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट अनेस्टमनी के रूप में (दो अलग-अलग) जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। टेन्डर फार्म ₹ 21.00 नकद जमा करने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के दिन प्राप्त किया जा सकता है।

1. अक्टूबर एवं नवम्बर-2016 के लिए निविदा हेतु घोषित तिथियाँ:- 05.10.2016, 19.10.2016, 26.10.2016, 02.11.2016, 09.11.2016, 16.11.2016, 23.11.2016 एवं 30.11.2016 (बुद्धवार)
2. निविदा प्रपत्र बाक्स में डालने का अन्तिम समय व स्थान- 14.00 बजे तक (क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद)
3. टेण्डर खोलने का समय:- 15.00 बजे से

क्र0 स0	बस स्टेशन का नाम	स्टाल का नाम	न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रति माह(कर अतिरिक्त)	संचालन की तिथि	स्टाल का क्षेत्र फल
1	जीरोरोड	बुक स्टाल	6,522.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
2.	जीरोरोड	फल स्टाल	3,250.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
3.	जीरोरोड	इलेक्ट्रानिक गुड्स शाप	2,000.00	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट
4.	जीरोरोड	पीसीओ बूथ	1,700.00	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट
5.	बादशाहपुर	कैन्टीन	3,000.00	स्वीकृत तिथि से	15x12 फिट
6.	सिविल लाइन्स	फल स्टाल	22,561.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
7.	सिविल लाइन्स	बुक स्टाल	8,500.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
8.	मिर्जापुर	इलेक्ट्रानिक गुड्स शाप	1,500.00	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट
9.	मिर्जापुर	जनरल मर्चेन्ट	नव सृजित	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट

ठेके अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि परिवहन निगम द्वारा उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तो ठेके को निरस्त करने का अधिकार परिवहन निगम को होगा। किसी भी ठेके की निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है। निगम प्रशासन/निविदा समिति द्वारा आवन्टित किये गये निर्धारित स्थान/स्टाल पर ही ठेका चलाने के लिये अधिकृत होंगे, जो ठेकेदारों को मान्य होगा तथा स्वीकृत किये गये ठेके का सेवाकर नियमानुसार प्रति माह लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त ठेकेदारों को जमा करना होगा। ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

निविदा की शर्तें पूर्ण न पाये जाने पर टेन्डर पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः निविदा की शर्तें भली-भाँति पढ़कर ही टेन्डर फार्म की औपचारिकताएं पूर्ण करें। अन्य शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। निविदा सूचना तथा निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का पूर्ण विवरण परिवहन निगम की बेवसाइट www.upsrtc.com पर उपलब्ध है। बेवसाईट से डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 21.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है, परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन (शुद्धि पत्र) केवल निगम की उपरोक्त बेवसाइट पर ही उपलब्ध होगी। उपरोक्त तिथियों में प्राप्त किसी स्टाल के संचालन का आफर यदि स्वीकृत हो जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा (उस स्टाल हेतु) डाला जाय।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
इलाहाबाद

पत्रांक 6513/जन/क्षे0प्र0 (इला0)/कैन्टीन/नीलामी/2016 दिनांक:- 29.9.16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रधान प्रबन्धक(विविध), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. सहायक प्रबन्धक(ईडीपी) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना, निविदा परिपत्र एवं शर्तों को निगम की बेवसाइट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम..................।
4. सेवा प्रबन्धक, परिवहन निगम, इलाहाबाद ।
5. समस्त स0क्षे0प्र0/डिपो प्रभारी, इलाहाबाद ।
6. नोटिस बोर्ड ।

29/9/2016
क्षेत्रीय प्रबन्धक

Downloaded from www.upsrtc.com

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्ट साइज का फोटो		उ0प्र0रा0स0प0नि0 क्रम0सं0 एएलडी................

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ

निविदा प्रपत्र

मूल्य ` 21.00
रसीद सं0/डी0डी0नं0

निविदा जारी करने का दिनांक..निविदा निर्गत करने हेतु प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर एंव मोहर..

1.– निविदा दाता का नाम : ....

2.– पिता का नाम : ....

3.– स्थायी पता : ....

....

4.– बस स्टे ान, क्षेत्र एंव जिस स्टाल हेतु निविदा दिया गया है, का विवरण : ....

....

5.– स्टाल संचालन की अवधि : ....

6.– प्रस्तावित प्रतिमाह
लाइसेंस भुल्क(ाब्दों में)...

(अंकों में)...

7.– अर्नेस्ट मनी की धनरा ि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : ....
....

8. – प्रतिभूति धनरा ि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : ....
....

उक्त दी गई सूचनायें सही हैं एंव यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है, तो इस हेतु व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी रहूंगा।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

नोटः– एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है, तो जमा अर्नेस्ट मनी एंव प्रतिभूति धनरा ि का बैक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एंव उसका निर्णय अन्तिम होगा। निविदा प्रपत्र नियमावली सहित, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

मुख्य शर्तें

निविदा की मुख्य भार्तें निम्नवत् हैं :–

1– जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– प्रत्येक निविदा के साथ ` 10,000.00 का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्टमनी धनराि के रुप में, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र में बैंक ड्राफ्ट का विवरण देते टेण्डर के साथ सील बन्द लिफार्फे प्रेशित किए जायेंगे।

3– प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिमाह ऑफर की गई मासिक लाइसेन्स भुल्क के तीन माह के समतुल्य राि का डिमांड ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– निविदा दाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल–चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर संलग्न करना होगा तथा अपनी फोटो(पासपोर्ट साईज की) किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

5– जिस स्टाल एंव स्थान के लिए निविदा दिया जा रहा है, उस स्टाल का नाम व स्थान का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित करना होगा।

6– अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार नहीं किया जायेगा।

7– परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ठेका/स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल/ठेका संचालित करना होगा।

8– निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव के साथ तीन गुना धनराि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रुप में निविदा के साथ संलग्न न होने पर अर्नेस्टमनी की धनराि जब्त कर ली जायेगी।

9– स्टाल्स का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त निविदा, सक्षम अधिकारी की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

10– ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0 स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित राि का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टैम्प निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

11– निविदा प्रपत्र को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकेगा, परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

Downloaded from www.upsrtc.com

उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम के बस स्टे ानों पर संचालित विभिन्न स्टालों से सम्बन्धित इस नियमावली को परिवहन निगम स्टाल्स नियमावली, 2009 (2014 तक हुए सभी सं ोधन सम्मिलित) कहा जायेगा एंव स्टालों का संचालन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

1—अ—<u>स्टाल्स का विवरण</u>

निगम बस स्टे ानों पर निम्नलिखित स्टाल्स संचालित किये जा सकते हैः—

1. जलपान गृह
2. जनरल मर्चेन्ट
3. बुक स्टाल
4. फल स्टाल
5. पान स्टाल
6. पी0सी0ओ0
7. साईकिल, स्कूटर/मोटर साईकिल/कार पार्किंग स्टैण्ड।
8. मेडिसिन स्टोर
9. मोबाइल फोन एंव इलेक्ट्रानिक्स गुड्स
10. बिजनेस सेन्टर
11. एच0पी0एम0सी0 तथा पंजाब एग्रो के ''जूस डिस्पैसिंग यूनिट''
12. पी0सी0डी0एफ0 के ''पराग बूथ''
13. गुजरात को—आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरे ान लि0 के ''अमूल मिल्क पार्लर''

उपरोक्त में से क्र0 संख्या 1 से 6 तक के स्टाल प्रत्येक बस स्टे ान पर रहेंगे। उक्त स्टालों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उत्पादित वि ोश वस्तुओं के पृथक स्टाल खोले जा सकते हैं।

उक्त स्टालों के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति पर अन्य कोई स्टाल अथवा एक ही प्रकृति के स्टाल की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

कैन्टीन संचालक को ट्राली युक्त वेण्डर्स ` 5000/—प्रति माह (रू0 पांच हजार) ट्राली रहित प्रत्येक वेण्डरर्स को ` 2000/—प्रति माह (रू0 दो हजार) की दर से भुगतान किये जाने पर अनुमति प्रदान की जायेगी।

विभिन्न बस स्टे ानो पर न्यूनतम प्रथम पांच स्टाल्स घोशित किये जाने के साथ—साथ अत्यन्त छोटे बस स्टे ानों, जहाँ प्रतिदिन 30 बसों से कम प्रस्थान हो, पर पांच स्टाल्स को मिलाकर एक स्टाल सम्मिलित रुप से सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार सम्मिलित स्टाल दिये जाने पर एक ही स्टाल संचालक होगा। इससे बस स्टे ानों पर सफाई, प्रका ा, भौचालय/मूत्रालय की सफाई रखने की अपेक्षा स्टाल संचालक से की जायेगी। ऐसा स्टाल संचालक बस स्टे ानों पर निर्धारित स्थान पर ही विभिन्न स्टाल्स का संचालन करेगा।

ब—<u>स्टाल का क्षेत्रफलः</u>—

सभी स्टाल के निर्धारित स्थान, उसका क्षेत्रफल आदि का पूर्व निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा और विधिवत् घोशित किया जायेगा, जिसकी जानकारी निविदादाता, सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

स—<u>स्टाल्स अवधिः</u>—

समस्त स्टाल की संचालन अवधि तीन वर्श की होगी। परन्तु तीन माह पूर्व नोटिस देते हए ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यदि अस्थाई आव यकताओं के रुप में दैनिक दर पर किसी स्थान वि ोश के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं, तो ऐसे स्टाल्स की अवधि दिन प्रतिदिन के आधार पर नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार रहेगी।

<u>द—</u> किसी बस स्टे ान पर जहां फूड प्लाजा योजना के अर्न्गत फूड प्लाजा स्वीकृत हो/संचालित हो रहा हो, तो जलपान गृह एंव खानपान से सम्बन्धित अन्य कोई स्टाल्स का आवंटन नहीं होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

2—स्टाल निविदा की प्रकियाः—

अ— सक्षम अधिकारी द्वारा खाली चल रहे स्टाल्स एंव आगामी तीन माह में खाली होने वाले स्टालों की सूचना तथा सम्बन्धित स्टाल का आरक्षित मूल्य जिसका निर्धारण सक्षम समिति करेगी, जिनका टेण्डर किया जाना है, क्षेत्र के सक्षम अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा सम्बन्धित बस स्टे ानों के नाटिस बोर्ड पर निर्धारित टेण्डर तिथि से 15 दिन पूर्व प्रदर्ि ात की जायेगी। ऐसी सूचना निगम की वेबसाइट पर भी टेण्डर की तिथि से 10 दिन पूर्व उपलब्ध रहेगी।

ब— सक्षम अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि में 14.00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

स— निविदा में प्राप्त अधिकतम दर के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित समिति द्वारा अपने अन्तिम निणय से उसी दिन निविदादाताओं को अवगत कराया जायेगा।

द— प्रत्येक स्टाल्स/दुकानों के आंवटन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल्स एंव दुकानों हेतु ` 10000.00(दस हजार) तथा डिपो स्तर के लिए ` 2000.00 अर्नेस्टमनी जमा कराई जायेगी। निविदा प्रक्रिया मे सम्मिलित होने के लिए धरोहर रा ि जमा कराना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी की धनरा ि डिमान्ड ड्राफ्ट के रुप में ही स्वीकार होगी। जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम इलाहाबाद के पक्ष में इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

य— प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिमाह ऑफर की गई धनरा ि के तीन माह के समतुल्य रा ि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में इलाहाबाद में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी। ऐसी निविदा को जब्त घोशित करते हुए द्वितीय एंव तृतीय सर्वोच्च प्रदाता के प्रस्ताव को कमवार पूर्व प्रस्ताव की अर्नेस्ट मनी रा ि जब्त करते हुए स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी की समिति को होगा।

3—निविदा प्रपत्र एंव नियमावली की उपलब्धता एंव कय की व्यवस्थाः—

1. निविदा प्रपत्र नियमावली सहित प्रत्येक सक्षम अधिकारी के कार्यालय में ` 21.00(एक्कीस) नगद जमा कर कय किया जा सकता है।
2. निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com से भी इसे डाउनलोड कर क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम, इलाहाबाद के नाम ` 21/— का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सक्षम अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

4—सक्षम अधिकारीः—

स्टाल्स की निविदा के लिए बस स्टे ानों की श्रेणी के आधार पर सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगेः—

1. जनपदीय मुख्यालय एवं डिपो मुख्यालय पर स्थित समस्त बस स्टे ान—सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक।
2. उपरोक्त से भिन्न बस स्टे ान— डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक

5—निविदा समितिः—

डिपो स्तर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में स्टे ान अधीक्षक/वरिश्ठ केन्द्र प्रभारी तथा वरिश्ठ लेखाकार/लेखाकार की तीन सदस्यीय समिति रहेगी। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) एंव सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कामिक)/स्थानीय वरिश्ठतम सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की तीन सदस्यीय समिति रहेगी।

6—प्रतिभूति राशिः—

किसी भी स्टाल की प्रतिभूति रा ि उस स्टाल के लाइसेंस भुल्क के तीन माह, के समतुल्य परन्तु अस्थायी अवधि के स्टाल्स के लिए एक माह के लाइसेंस भुल्क के समतुल्य होगी, जो निविदा के साथ ही जमा करनी होगी।

7—स्टाल्स की स्वीकृति का अधिकारः—

अ— क्षेत्रीय/डिपो स्तर पर अपनायी गई निविदा प्रक्रिया में यदि पूर्व में चल रहे

Downloaded from www.upsrtc.com

नियमित स्टाल मूल्य के बराबर या अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो उनके स्टाल की स्वीकृति सक्षम अधिकरी के स्तर पर प्रदान कर दी जायेगी।

.............4

<u>ब–</u> गत दरों से 20% तक कम दरों के प्रस्तावों पर (तीन प्रयासों के बाद) क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित समिति, स्वीकृत/अस्वीकृति हेतु निर्णय ले सकेगी। इससे अधिक अन्तर आता है तो मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आव यक होगा।

<u>स–</u> अस्थायी आव यकताओं के अन्तर्गत दैनिक दर पर दिन प्रतिदिन के आधार पर स्टाल्स की व्यवस्थाः–

अस्थाई आव यकताओं के दृष्टिगत किसी वि ोश स्थान पर अल्प समय के लिए किसी स्टाल आदि के संचालन की आव यकता पड़ती है, तो क्षेत्रीय प्रबन्धक नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पूर्णतया अस्थाई स्तर रुप से दैनिक दर पर प्रस्ताव आमंत्रित कर अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाही, अस्थायी आव यकता की अवधि तक, परन्तु एक वर्श से अनाधिक अवधि के लिए कर सकते हैं। यह स्टाल दिन प्रतिदिन के आधार पर होगा और किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा। सम्बन्धित आदे ों एंव अनुबन्ध में यह प्राविधान निहित किया जाना आव यक होगा। कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल निगम मुख्यालय प्रेशित की जायेगी।

यदि उक्त अवधि के बाद भी आव यकता बनी रहती है, तो पुनः नियमानुंसार प्रक्रिया अपनाते हुए उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तरीय समिति के द्वारा की जा सकती है।

<u>8–बन्द स्टाल/नवसृजित स्टाल का निस्तारणः–</u>

पिछले छः माह या इससे अधिक अवधि से बन्द पड़े स्टाल एंव ऐसे बस स्टे ानों, जिन पर अभी तक कोई स्टाल नहीं चल रहा है, में किसी बस स्टे ान पर चलाये जाने वाले घोशित स्टाल्स को नवसृजित करके उक्त उन सभी स्टाल के लिए अलग–अलग आरक्षित मूल्य (विद्यमान परिस्थितियों में स्टाल हेतु प्राप्त होने वाला अधिकतम अनुमानित मासिक लाइसेंस भुल्क) सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

सक्षम अधिकारी की समिति आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए सम्बन्धित स्थान के बारे में निम्नलिखित बिन्दुओं का अध्ययन रखेगी।

1. स्टाल के कार्य स्थल पर यात्रियों के आवागमन की स्थिति।
2. बस स्टे ान के बाहर, संचालित स्टाल से सम्बन्धित दुकानों की स्थिति।
3. स्टाल न उठने का मुख्य कारण।

उपरोक्त बिन्दु पर विचार करते हुए सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आरक्षित मूल्यों का निर्धारण करेगी एंव आरक्षित मूल्यों के सन्दर्भ में ऐसे बन्द पड़े/नवसृजित स्टाल्स के लिए प्रत्येक माह पर निर्धारित तिथि पर निविदा प्रक्रिया से इन स्टाल्स को पुनः संचालित करायेगी। ऐसे स्टाल्स के लिए समिति यदि उपयुक्त समझे तो सम्बन्धित स्थान पर ही जाकर स्टाल उठाये जाने की कार्यवाही कर सकती है।

<u>9–स्टाल बीच में समाप्त होने की दशा मेंः–</u>

यदि स्टाल संचालक बीच में ही स्टाल छोड़कर चला जाता है, तो प्रतिभूति रा ि जब्त कर ली जायेगी, परन्तु यदि स्टाल संचालक निर्धारित तीन माह की सूचना के उपरान्त स्टाल खाली करता है, तो उसके अन्य देयकों को प्रतिभूति रा ि में से समायोजित करते हुए भोश धनरा ि वापस कर दी जायेगी।

<u>10–अनुबन्ध समाप्तिः–</u>

निगम एंव स्टाल संचालक दोनों के द्वारा 03 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी की समिति में निहित रहेगा।

<u>11–लाइसेंस शुल्क जमा करने की तिथिः–</u>

1. अनुबन्ध में स्टाल के संचालन हेतु घोशित तिथि से लाइसेंस भुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा।
2. प्रत्येंक स्टाल संचालक द्वारा अग्रिम रुप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाइसेंस भुल्क अन्य देय भुल्कों (करों) सहित जमा की जायेगी।
3. 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 10वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाइसेंस भुल्क का 1/20 वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरुप जमा करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

4. एक माह से अधिक का विलम्ब अनुमन्य नहीं होगा तथा स्टाल आगामी 10 तारीख को स्वयमेव समाप्त मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। 5

12.–विक्रय किये जाने वाले सामान के मूल्य/गुणवत्ता का निर्धारणः–

स्टाल संचालक के लिए आव यक होगा कि क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित दर एंव गुणवत्ता के अनुरुप ही सामान विक्रय किया जाय। क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्टाल में विक्रय किये जाने वाले सामान, उसके मूल्य एंव गुणवत्ता का निर्धारण निम्नवत् गठित समिति द्वारा प्रत्येक वर्श किया जायेगा मूल्य सूची के प्रद िन का दायित्व डिपों प्रबन्धक/स्टाल संचालक का होगा।

1–	क्षेत्रीय प्रबन्धक	अध्यक्ष
2–	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक/संचालन)	सदस्य
3–	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)	सदस्य
4–	सम्बन्धित स्टाल सचालक के दो प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति प्रत्येक दिसम्बर माह में आगामी वर्श के लिए उपरोक्त कार्यवाही करेगी तथा उपरोक्त की कार्यवृत्त मुख्यालय को भी सूचनार्थ भेजी जाएगी। समिति की संस्तुति अगले वर्श की 1 जनवरी सें प्रभावी होगी।

13–स्टाल्स की गुणवत्ता एंव यात्री की संतुश्टि पर नियंत्रणः–

स्टाल्स की गुणवत्ता एंव यात्री की संतुश्टि के लिए निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

13.1 स्टाल संचालक को एक परिवाद पुस्तिका रखनी अनिवार्य होगी, जिसका प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण स्टाल संचालक द्वारा स्वंय स्टे ान प्रभारी को कराया जायेगा तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक माह में कम से कम दो बार इसका निरीक्षण करेंगे।

13.2 प्राप्त किसी भी परिवाद/निरीक्षण रिर्पोट पर सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुबन्ध समाप्ति का निर्णय लिया जा सकाता है।

13.3 खाद्य एंव पेय पदार्थों में मिलावट अथवा नकली ब्राण्ड के खाद्य एंव पेय पदार्थ बेचे जाने अथवा निगम परिसर में किसी संगेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिर्पोट प्राप्त होनें पर स्टाल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए अनुबन्ध निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

13.4 उपरोक्त निर्णयों का प्रतिवेदन स्टाल संचालक द्वारा प्रधान प्रबन्धक,परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को किया जा सकता है, जिस पर समुचित कार्यवाही क्षेत्र वि ोश के प्रत्यावेदन हेतु नमित प्रधान प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। इस कार्यवाही पर दिये गये दण्ड का अन्तिम निर्णय तक स्थगन भी दिया जा सकता है परन्तु किसी भी प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय 15 दिन में कर दिये जायेंगे अन्यथा निचले स्तर का आदे ा पुनः प्रभावी हो जायेगा, जब तक कि उसे लिखित रुप से आगे स्थगित न किया गया हो।

13.5 स्टाल्स की गुणवत्ता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर सघन नियन्त्रण एंव अनुश्रवण के निमित्त प्रत्येक नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0 अपने कार्य क्षेत्र में निरीक्षण के समय इन स्टाल्स का भी निरीक्षण सुनि िचत करेंगे तथा यह कार्यवाही इस प्रकार आ वस्त की जाय कि वर्श में स0क्षे0प्र0 स्तर पर भात–प्रति ात् क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम 50% तथा नोडल अधिकारी स्तर पर 20 स्टाल्स का निरीक्षण हो जाय।

13.6 सक्षम अधिकारी कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्टाल संचालक की एक पत्रावली अलग से खोली जायेगी, जिसमें उसके विरुद्ध प्राप्त िकायतों, धनरा ि जमा करने के साथ उससे सम्बन्धित किसी भी बिन्दु के पत्राचार को रख जायेगा तथा यह पत्रावली उसके सम्बन्ध में लिए गए किसी भी निर्णय के समय प्रयोग की जायेगी।

14–गुणवत्ता का अनुश्रवणः–

समय–समय पर प्रबन्ध निदे ाक/अपर प्रबन्ध निदे ाक/मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) द्वारा भी इन स्टालों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को भेजा जायेगा। इन निरीक्षणों में वि ोशकर निम्न बिन्दु देखे जायेंगेः–

1. आवंटित स्थल से अधिक स्थान घेरना।

Downloaded from www.upsrtc.com

2. स्टाल पर स्वच्छता।

..........6

3. निर्धारित मूल्यों के सापेक्ष चार्ज की जा रही दरें।
4. फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था।
5. स्टाल का रख रखाव एंव निस्तारण।
6. परिवाद पुस्तिका का रखरखाव एंव निस्तारण।
7. लाइसेंस भुल्क का समय से जमा होना।

उपरोक्त रिर्पोट के आधार पर स्टाल संचालक के विरुद्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार सक्षम अधिकारी के स्तर पर आव यक कार्यवाही की जायेगी। बस स्टे ान के नियंत्रण अधिकारी/उपाधिकारी के विरुद्व इन रिर्पोटों के परीक्षण के उपरान्त समुचित नियन्त्रण न रखने हेतु 13.2 एंव 13.3 के बिन्दुओं में दी गयी कार्यवाही की जायेगी।

आवंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल घेरे पाये जाने पर स्टाल संचालक से उस स्थान के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक सर्किल दर के आधार पर प्रतिमाह धनरा ि वसूल की जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध समाप्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

<u>15—स्टाल के कार्मिकों की वर्दीः—</u>

ग्रे रंग की होगी।

<u>16—अन्य भार्तेः—</u>

1. स्टाल संचालक द्वारा निगम से आ वासित स्थल पर ही स्टाल का संचालन किया जाएगा। निगम की अनुमति से अस्थाई भेड इत्यादि बनाया जा सकता है, जिसे स्टाल की पर, स्वयं के खर्चे पर हटाना होगा। ऐसे अस्थाई भेड, काउन्टर इत्यादि बनाते समय सक्षम अधिकारी के निर्दे ाों का पालन करना आव यक होगा। स्टाल पर टाइल्स आदि स्वच्छता हेतु प्रयोग हेतु किया जाएगा।
2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित सभी टैक्स इत्यादि यदि कोई हो तो उसे स्टाल संचालक स्वयं भुगतान करेगा, स्थानीय संस्थाओं के नियमों का भी पालन उसे करना होगा।
3. स्टाल संचालक द्वारा विद्युत कनेक ान स्वयं के खर्चे पर प्राप्त किया जायेगा एवं उपभोग की गयी विद्युत भुल्क का व्यापारिक दारों पर भुगतान स्टाल संचालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
4. स्टाल संचालक सभी खाद्य पदार्थों की बिकी मे स्वच्छता रखेगा एवं ऐसी व्यवस्था करेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो। सभी सामान जाली अथवा भी ो से बन्द भो के ा में रखकर विकय करेगा।
5. निगम के कार्मिको को 12.50 % कम दर पर सामान का विकय किया जायेगा।
6. संचालक अपने स्टाल की प्रत्येक माह में एक बार उपयुक्त स्तर की पुताई एंव रंगाई कराएगा। निगम द्वारा इसे कराने पर व्यय की गई धनरा ि स्टाल संचालक से वसूल की जायेगी।
7. स्टाल सचालक द्वारा कोयले, लकड़ी, बुरादा आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
8. स्टाल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नही करेगा।
9. स्टाल एवं उसके आसपास के स्थान को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने का दायित्व स्टाल संचालक को होगा।

उपरोक्त 1 से 9 की अवहेलना पर नियम संख्या 13.2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

<u>17—निगम की क्षतिपूर्तिः—</u>

किसी भी सामान की बिक्री के कारण यदि कोई अथवा अन्य कठिनाई आती है या किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाद, क्षतिपूर्ति इत्यादि की कार्यवाही की जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व स्टाल संचालक का होगा।

<u>18—</u> भाहर मे कर्फ्यू लगने, हड़ताल अथवा नेचुरल विपदाओं के समय ऐसी परिस्थितियों मे जो स्टाल संचालक के नियंत्रण से बाहर हो, जहां स्टाल संचालक का व्यवसाय 10 दिन से अन्यून अवधि तक प्रभावित हो गया हो, सक्षम अधिकारी की समिति, प्रभावित दिनों तक के लिए लाइसेंस भुल्क की छूट

Downloaded from www.upsrtc.com

प्रदान कर सकेगी। समिति के इस सम्बन्ध मे किये गये आदे ा मुख्यालय को प्रेशित किया जाना अनिवार्य होगा।

................7

<u>19—</u> निगम को यह अधिकार होगा कि वह स्टाल संचालक को किसी भी समय केवल ब्राण्ड वि ोश के सामान का बिक्री के निर्दे ा जारी कर दें। स्टाल संचालक ऐसे निर्दे ा का अनुपालन करने को बाध्य होगा।

<u>20—पी0सी0ओ0स्टालः—</u>

(क)—पी0सी0ओ0 बूथ हेतु 6×4 वर्गफुट की जमीन अनुमन्य की जायेगी।

(ख)—पी0सी0ओ0 बूथ पर अन्य कोई सामान का विक्रय नही किया जायेगा।

(ग)—प्रत्येक बस स्टे ान पर अधिकतम दो पी0सी0ओ0 बूथ ही संचालित किये जायेगे।

(घ)—वर्तमान मे जो पी0सी0ओ0 बूथ संचालित है, उनकी अनुबंध अवधि समाप्त होने के प चात पुनः निविदा की कार्यवाही नियामानुसार की जायेगी। जहॉ पर दो से अधिक पी0सी0ओ0 बूथ संचालित है, वहॉ पर पुनः निविदा अधिकतम दो पी0सी0ओ0 बूथ के लिए ही की जायेगी।

परन्तु किसी बस स्टे ान पर द्वितीय पीसी0ओ0 का प्रस्ताव आमंत्रित करने/स्वीकृति करने पर निम्नवत् विचार करना आव यक होगाः—

1. प्रथम पी0सी0ओ0 बूथ की काल 800 यूनिट प्रतिमाह न्यूनतम की सीमा से अधिक होने पर ही द्वितीय पी0सी0ओ0 स्वीकृत किया जाये।
2. द्वितीय पी0सी0ओ0 के लिए बस स्टे ान पर ऐसा स्थान उपलब्ध होना चाहिए जहॉ से बसों के आवगमन मे असुविधा न हो।
3. ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता दी जाये जो बस स्टे ान पर पी0सी0ओ0 के साथ फैक्स एवं सेल्युलर फोन की सुविधा उपलब्ध करा सकें।

<u>21—अनुबन्ध हेतु स्टैम्प ड्युटी एवं अनुबन्ध निस्पादनः—</u>

1. ठेको के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0 स्टाम्प एक्ट के अर्न्तगत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित धनरा ि का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा अन्यथा प्रतिभूति धनरा ि जब्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टैम्प निविदादाता/ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा, इस हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप में अनुबन्ध में स्टाल संचालक/ठेकेदार को अपने खर्चे पर टंकित कराकर उपलब्ध कराना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com